

बिहार कौशल विकास मिशन के परिचालन संबंधी कार्यों का नागरिक चार्टर

क्र.	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
1	अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थान परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> ● अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन देना ● जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रथम स्तरीय जाँच (केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जाँच) कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ● जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्य द्वारा संचिका के माध्यम से सैद्धांतिक अनुमोदन (In Principal Approval) हेतु सक्षम प्राधिकार को आवेदन भेजना ● सक्षम प्राधिकार द्वारा राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्य की अनुशंसा के आलोक में सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जाना, तदालोक में पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई करना ● मिशन के पोर्टल पर सैद्धांतिक अनुमोदन (In Principal Approval) प्राप्त 	<p>ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से प्राप्त आवेदन</p> <p>स्थान परिवर्तन हेतु अपलोड किए जाने वाले कागजातों की सूची</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्थान परिवर्तन हेतु संस्था द्वारा पारित रिजॉल्यूशन की प्रति ● प्रस्तावित मकान मालिक की सहमति ● प्रस्तावित स्थल की 2 जियो टैग्ड फोटोग्राफ ● अंतिम अनुमोदन के पूर्व किरायानामा ● जिला स्तर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन ● राज्य स्तर पर पीएमयू टीम की अनुशंसा 	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	45 कार्य-दिवस

क्र .	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<p>करने के उपरांत प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा स्थान परिवर्तन करते हुए नए स्थान पर अवस्थित केन्द्र से संबंधी विवरणी पोर्टल पर डालना</p> <ul style="list-style-type: none"> ● जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ● जिला से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्य द्वारा संचिका के माध्यम से अंतिम अनुमोदन (Final Approval) हेतु सक्षम प्राधिकार को आवेदन भेजना ● सक्षम प्राधिकार द्वारा राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्य की अनुशंसा के आलोक में अंतिम अनुमोदन (Final Approval) दिया जाना, तदालोक में पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई करना 			
2	नए पाठ्यक्रम/मौजूदा पाठ्यक्रमों के उन्नत संस्करण का अनुमोदन	<ul style="list-style-type: none"> ● विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल या सरकारी कौशल प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय समय पर मौजूदा पाठ्यक्रमों के उन्नत संस्करण 	ऑनलाईन /ऑफलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल या सरकारी कौशल प्रशिक्षण या इण्डस्ट्री पार्टनर संस्थानों से प्राप्त प्रतिवेदन राज्य स्तर पर समीक्षा प्रतिवेदन	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	30 कार्य-दिवस

क्र	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<p>या नए पाठ्यक्रम की अनुशंसा के आलोक में संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को अनुमोदनार्थ आवेदन भेजना</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में पोर्टल एवं वेबसाइट पर नए पाठ्यक्रम/मौजूदा पाठ्यक्रमों के उन्नत संस्करण संबंधी विवरणी अपलोड करवाना 	<p>पोर्टल/वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु नये पाठ्यक्रम/मौजूदा पाठ्यक्रमों के उन्नत संस्करण संबंधी विवरणी</p>		
3	अनुमोदित केन्द्रों एवं कोर्स का नवीनीकरण	<ul style="list-style-type: none"> ● अनुमोदित केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुमोदित कोर्स के नवीनीकरण हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन देना ● केन्द्र नवीनीकरण एवं कोर्स नवीनीकरण संबंधी सभी प्रकार के शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना ● जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ● राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्य द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पोर्टल 	<p>ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से प्राप्त आवेदन जिला स्तर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन राज्य स्तर पर पीएमयू टीम की अनुशंसा</p>	मिशन निदेशक	30 कार्य-दिवस

क्र .	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<p>पर प्राथमिक अनुशंसा करना</p> <ul style="list-style-type: none"> सक्षम प्राधिकार द्वारा राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में पोर्टल पर अनुमोदन 			
4	कोर्स सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया	<ul style="list-style-type: none"> अनुमोदित केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र में नए कोर्स/मौजूदा कोर्स के उन्नत संस्करण को जोड़ने संबंधी आवेदन पोर्टल पर ऑनलाईन देना मौजूदा पाठ्यक्रमों के उन्नत संस्करण अथवा कोर्स के वर्तमान संस्करण को रिटायर कर दिए जाने की स्थिति के अलावा अन्य किसी परिस्थिति में विभागों द्वारा भेजी गई अनुशंसा के आलोक में कोर्स सब्सक्रिप्शन का आवेदन दिया जाना संभव कोर्स जोड़े जाने संबंधी सभी प्रकार के शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा स्थल जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना 	ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से प्राप्त आवेदन जिला स्तर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन राज्य स्तर पर पीएमयू टीम की अनुशंसा	मिशन निदेशक	30 कार्य-दिवस

क्र	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<ul style="list-style-type: none"> राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्य द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पोर्टल पर प्राथमिक अनुशंसा करना सक्षम प्राधिकार द्वारा राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में पोर्टल पर अनुमोदन 			
5	पंजीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों के बैंक खाते की विवरणी में परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा बैंक खाता संबंधी विवरणी में परिवर्तन हेतु आवेदन ऑफलाइन माध्यम से देना राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों द्वारा आवेदन की जाँच कर प्रतिवेदन मिशन को देना मिशन के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को आवेदन देना सक्षम प्राधिकार द्वारा मिशन के अधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संचिका पर अनुमोदन देना अनुमोदनोपरांत पोर्टल पर नए 	<p>ऑफलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से प्राप्त आवेदन</p> <p><u>बैंक खाते की विवरणी में परिवर्तन हेतु जमा किए जाने वाले कागजातों की सूची</u></p> <ol style="list-style-type: none"> बैंक खाता परिवर्तन के संबंध में संस्था द्वारा पारित रिजॉल्यूशन की प्रति। संस्था का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। बैंक के द्वारा संस्था के पैन नम्बर एवं बैंक खाते का लिंक होने संबंधी प्रमाण पत्र। प्रोपराईटर अथवा सभी पार्टनर/डायरेक्टर/चेयरमैन/प्रेसिडेंट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का एक्जिक्यूटिव /ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र एवं आईडी प्रूफ। संस्था द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में चलाये जा रहे सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची। बीएसडीएम की संतुष्टि हेतु कोई भी अन्य कागजात। 	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	30 कार्य-दिवस

क्र	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		बैंक खाते संबंधी विवरणी अपलोड करवाना			
6	<p>पंजीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों के ई-मेल एवं मोबाईल नंबर में परिवर्तन*</p> <p>* इनमें वैसे ही आवेदन सम्मिलित हैं जिनका एक बार पोर्टल पर पहले यह विवरण बदला जा चुका है। अन्यथा ये ऑनलाईन ही बदला जा सकता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा ई-मेल एवं मोबाईल नंबर संबंधी विवरणी में परिवर्तन हेतु आवेदन ऑनलाईन माध्यम से देना ● राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों द्वारा आवेदन की जाँच कर प्रतिवेदन मिशन को देना ● मिशन के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों की अनुशंसा के आलोक में संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार को आवेदन देना ● सक्षम प्राधिकार द्वारा मिशन के अधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संचिका पर अनुमोदन देना ● अनुमोदनोपरांत पोर्टल पर नए ई-मेल एवं मोबाईल नंबर संबंधी विवरणी अपलोड करवाना 	<ul style="list-style-type: none"> ● ई-मेल एवं मोबाईल नंबर में परिवर्तन के संबंध में संस्था द्वारा पारित रिजॉल्यूशन की प्रति। ● संस्था का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। ● बैंक के द्वारा संस्था के पैन नम्बर एवं बैंक खाते का लिंक होने संबंधी प्रमाण पत्र। ● प्रोपराईटर अथवा सभी पार्टनर/डायरेक्टर/चेयरमेन/प्रेसिडेंट, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का एक्जिक्यूटिव /ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र एवं आईडी प्रूफ। ● संस्था द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन में चलाये जा रहे सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची। ● बीएसडीएम की संतुष्टि हेतु कोई भी अन्य कागजात। 	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	30 कार्य-दिवस
7	प्रशिक्षण हेतु नए बैच का अनुमोदन	<ul style="list-style-type: none"> ● कौशल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर पोर्टल पर पंजीकरण करना 	ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से पोर्टल के माध्यम से एवं राज्य स्तर पर कार्रवाई के उपरांत नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं आवश्यक अनुलग्नक	नोडल पदाधिकारी	अधिकतम 7 कार्य दिवस

क्र.	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<ul style="list-style-type: none"> पंजीकृत अभ्यर्थियों से सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि संग्रह करना केन्द्र पर अनुमोदित कोर्स के लिए आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध इनटेक क्षमता के अनुसार पंजीकृत अभ्यर्थियों का बैच ऑनलाईन तैयार करना बनाए गए बैच के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि पोर्टल पर जमा करना तत्पश्चात् बैच अनुमोदन हेतु संबंधित विभाग या मिशन को भेजना संबंधित पदाधिकारी/कर्मि द्वारा अनुमोदन हेतु भेजे गए बैच की अभ्यर्थीवार जाँच करना एवं त्रुटियों का निराकरण करना बैच को पोर्टल पर अनुमोदित करना 			
8	सफल प्रशिक्षणार्थियों को सिक्योरिटी डिपोजिट की राशि लौटाना	<ul style="list-style-type: none"> पोर्टल पर सफल प्रशिक्षणार्थियों से संबंधित अपलोड किए गए अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्रों की जाँच करना जाँचोपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन संबंधी 	ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन संबंधी विवरणी अपलोड करने एवं राज्य स्तर पर कार्रवाई के उपरांत नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन तथा अनुशंसा	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	मूल्यांकन अनुमोदित होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य दिवस

क्र.	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<p>विवरण को अनुमोदित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुमोदनोपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची तैयार कर मिशन के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना • लेखा शाखा द्वारा सूची की जाँच कर भुगतान हेतु संचिका के माध्यम से प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को उपस्थापित करना • सक्षम प्राधिकार का संचिका पर अंकित अनुशंसा के आलोक में अनुमोदन देना • अनुमोदनोपरांत लेखा शाखा द्वारा राशि सफल प्रशिक्षणार्थियों को उनके बैंक खाते में भेजना 			
9	पूर्व से पंजीकृत प्रशिक्षणार्थी का आधार सं० पोर्टल से विमुक्त करना	<ul style="list-style-type: none"> • अभ्यर्थी से आधार मुक्त करने संबंधी आवेदन प्राप्त होना • राज्य स्तरीय पीएमयू सदस्यों द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन में वर्णित विवरणी की पोर्टल पर जाँच करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करना • जाँच प्रतिवेदन एवं पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से 	ऑफलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन एवं राज्य स्तर पर कार्रवाई के उपरांत नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन एवं आवश्यक अनुलग्नक	मिशन निदेशक	आवेदन प्राप्त होने के 10 कार्य दिवस के अंदर

क्र	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<p>अनुमोदित प्रक्रिया के आलोक में पोर्टल पर आधार सं० विमुक्त करने हेतु नोलेज पार्टनर को सूचित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> नोलेज पार्टनर द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोर्टल से आधार सं० विमुक्त करना उक्त के आलोक में अभ्यर्थी को सूचित करना 			
10	सफल प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसर की जाँच	<ul style="list-style-type: none"> सफल/प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए रोजगार के अवसर संबंधी विवरणी पोर्टल पर अपलोड किया जाना विवरणी अपलोड किए जाने के उपरांत संबंधित विभागीय पदाधिकारी या मिशन के अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के रोजगार से जुड़े दावों की डेस्क आधारित सत्यापन (Desk Based Verification) किया जाना डेस्क आधारित सत्यापन (Desk Based Verification) 	ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी से पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसर संबंधी विवरणी अपलोड करने एवं राज्य स्तर पर कार्रवाई के उपरांत नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन तथा अनुशंसा	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा संबंधित विभागीय प्रमुख	रोजगार संबंधी विवरणी अपलोड होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य दिवस

क्र .	विषय	प्रक्रिया	जाँच पत्र/आवश्यक प्रतिवेदन या आवेदन	सक्षम प्राधिकार	अधिकतम समय-सीमा
		<p>में पाए गए त्रुटियों या भिन्नताओं के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों के रोजगार विवरणी का भौतिक/टेलीफोनिक सत्यापन किये जाने हेतु जिला/क्षेत्रीय/राज्य अधिकारियों अथवा कर्मियों को औपचारिक रूप से सूचित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> ● भौतिक/टेलीफोनिक सत्यापन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा करना एवं तदालोक में कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी दावों को पोर्टल पर अनुमोदित या अस्वीकृत करना 			